there are 1,499 electronic exchanges, mostly of small and medium capacity, which are outdated due to change of technology. The capacity of these outdated exchanges is less than one per cent of the total capacity available in the country. I would like to know from the hon. Minister what the percentage is of such type of outdated exchanges in the North-Eastern Region. Secondly, I feel that telephone connections on priority basis, out of MPs' quota, are not given on time in the Assam Telecom Circle. It happens so particularly in the Jorhat-TDM area. What has to be done? The Minister may kindly inform us.

श्री रामविलास पासवान: केवल इस तरह का एक ही एक्सचेंज बचा है टोटल नार्थ ईस्ट में। जहां तक एम०पी० कोटे का सवाल है तो मैंने कहा है कि जो हमारा डब्ल्यू०एल०एल० का आया है उसमें हमने जिनको टाप प्रायोरिटी पर रखा है उसमें एम०पी० कोटे को रखा है, हमने विलेजेज को रखा है और उसके बाद जब बचेगा तब हम कनेक्शन प्रायोरिटी के आधार पर उनको देंगे।

Import of rice by Bangladesh

*404. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Bangladesh has placed restrictions on the import of rice from India;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action Government have taken to find alternate markets for the export of rice from West Bengal where the price of rice has fallen due to "warehouse clearance" for the arrival of new harvest?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No restriction has been imposed by the Government of Bangladesh on import of rice from India. The National Board of Revenue has however, issued an order that rice can be imported only

through Benapole and not through other landports. There is no restriction on importing rice through seaports. In addition, the import duty on rice has been increased from 5% to 25% alongwith a 10% regulatory duty with effect from 1.7.2001.

(c) The Government has permitted export of 30 lakh MT of rice out of the stocks held by FCI for the Central Pool in the current financial year. Some of the other steps taken to increase the export of rice from India and find alternate markets include conducting publicity campaigns, sending delegations abroad, participating in International trade fairs, inviting potential buyers and providing financial assistance to exporters for improving quality, packaging, brand promotion of products and for conducting market surveys.

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाला: सभापति महोदय, आपका ध्यान मैं मेरे प्रश्न की ओर तथा दिए गए उत्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा प्रश्न था कि बंगलादेश की सरकार द्वारा भारत से चावल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है और यदि लगाया गया है तो इसकी जानकारी, विस्तृत विवरण क्या है? उत्तर मिला है कि बंगलादेश की सरकार द्वारा भारत से चावल के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तथापि, राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है कि चावल का आयात केवल बेनापोल के जरिए ही किया जा सकता है। अन्य भू-पत्तनों के जरिए नहीं किया जा सकता। समुद्री पत्तनों के जरिए चावल के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त चावल पर आयात शुल्क 1.7.2001 से 10 प्रतिशत विनियामक शुल्क के साथ-साथ 5 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। यदि मंत्रालय इसको रेस्ट्रिक्शन नहीं मानता, इसको एक तरह की बाधा नहीं मानता है तो क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय करार के अंतर्गत बंगलां देश को ऐसा अधिकार है कि पड़ौसी देश के साथ इस तरह का व्यवहार करे और यदि ऐसा व्यवहार नहीं हुआ है तो हमारे आयात-निर्यात के गत तीन वर्षों के क्या फिगर हैं और जब से रेस्ट्रिक्शन लगा है उसके क्या फिगर हैं, रुपी के टर्म में, पैसे के टर्म में बताने की कृपा करें?

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, उत्तर तो वही है जो माननीय सदस्य को दिया है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपने यहां आने वाले अनाज पर कितनी ड्यूटी लगाता है, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। भारत ने स्वयं भी इसके उपर अपनी ड्यूटी लगा रखी है कि बाहर से कोई अगर हमें चावल भेजना चाहे तो हम कितनी उस पर ड्यूटी लगायेंगे यह फैसला हमने किया है। उसी तरह से बंगला देश को भी यह हक और अधिकार है कि उसने 5 फीसदी से बढ़ा कर 25 फीसदी किया है। यह किसी भी सॉवर्न राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। जहां तक माननीय सदस्य ने अलग-अलग वर्षों का अलग-अलग तरीके से

बंगला देश के संबंध में पूछा है कि कितना हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, तो उसके बारे में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बंगला देश मुख्य रूप से चावल का हमेशा इंपोर्ट करता रहा है। 1996 में तकरीबन एक मिलियन टन के आस-पास किया है, उसके बाद 1997 में 1.8 के आस-पास किया है, 1998 में 1.1 के आस-पास किया है, 1999 में 2.2 के आस-पास किया है और 2000 में करीब एक मिलियन टन के आस-पास किया है। जहां तक हमारे पैसों का सवाल है कि कितने पैसे का हमने उनको किया है वह कुल मिला कर करोड़ में मैं माननीय सदस्य को सूचना दे रहा हूं। 1996-97 में 145 करोड़ के आस-पास, 1997-98 में 359 करोड़ के आस-पास, 1998-99 में 2245 करोड़ के आस-पास, 1999-2000 में 361 करोड़ के आस-पास, 2001 में जो प्रोविज़नल है वह करीबन 297 करोड़ के आस-पास है, पैसे के संदर्भ में मैंने दिया है।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाला: माननीय सभापति जी, मेरा दूसरा प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अभी पहले आज की सभा की कार्यवाही में पहला प्रश्न था कॉफी इंपोर्ट-एक्सपोर्ट के बारे में, जहां तक इंजीनियरिंग व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, आज दुनिया की स्पर्द्धा में हम लोग टिक नहीं पा रहे हैं, बहुत से कारण हैं, हम लोग पिछड़ गए हैं, तकनीकी विशेषज्ञता में पिछड़ गए हैं। भाग्य से हमारी कृषि बहुत फलीभूत हो रही है। गेहूं का भंडार है, चावल का भंडार है, कॉफी का भंडार है, अन्य खाद्य वस्तुओं का भंडार है। हमारे मंत्रालय की क्या कोई ऐसी नीति है कि आने वाले वर्षों में विश्व व्यापार की जो प्रतिस्पर्द्धा है, उस चैलेंज का हम लोग किस तरह से मुकाबला का पायेंगे, किस तरह से अपनी वस्तुओं को विश्व के बाजार में दे पायेंगे, इसके लिए क्या कोई नीति बनी है? यदि बनी है, तो उसका कार्यान्वयन कब तक होगा और कब तक हम उसको कर पायेंगे?

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, बंगला देश द्वारा चावल के आयात के बारे में माननीय सदस्य का मुख्य सवाल था। चावल से जुड़े हुए सवालों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने एक्सपोर्ट प्राइस, जिसका आपने खुद ही जिक्र किया उन चीजों को हम लोगों ने पहले से ही तय किया है। मुख्य रूप से नॉन-बासमती राइस में हमें जो चुनौती आई है वह दो-तीन देशों से है, खास करके थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान से। ये तीन ऐसे देश हैं जिनसे हमको दुनिया के बाजार में चुनौती मिल रही है। जहां हम अपने राइस को ठीक तरीके से पहले कर पाते थे वह अब नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत भी हमारे लिए एक समस्या है, खास करके जिन देशों का मैंने जिक्र किया, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों की कीमतें भी हमारे मुकाबले में कम हैं। इसलिए एक्सपोर्ट के लिए हमें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार जो हम लोगों ने निर्धारित लक्ष्य रखा है वह तकरीबन 30 लाख टन के आस-पास रखा है और उसी के हिसाब से हम दुनिया के बाजार में अपने चावल का

एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जो सुविधाएं हम ने खासकर राइस एक्सपोर्टर्स को दी है, उन का जिक्र थोड़ा-बहुत हम ने माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में किया है, लेकिन हम बताना चाहेंगे कि हमारी बासमती और नॉन-बासमती राइस के बारे में जो 'एक्जिम पॉलिसी है ...(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी: आप आज के अखबार देख लीजिए, बासमती का पेटेंट आप के हाथ से निकल चुका है। ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: वह पूछेंगे तो उस का भी जवाब दूंगा। महोदय, एक तो एक्सपोर्ट पूरी तरह से खुला है और फिर आप को पता है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डवलपमेंट अथॉरिटी इस के रजिस्ट्रेशन का काम करती है। अब जहां तक कृषि संबंधी उत्पादों के विश्व बाजार में बिक्री का प्रश्न है, उस के लिए तो हमें अपनी उत्पादकता को भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि माननीय सदस्य ने खुद भी कहा है कि हमारी पोटेंशियलिटी है, लेकिन पिछले वर्ष के आंकड़ों से पता चलता है कि एक-दो साल में हमारा प्रोडक्शन घटा है। इसलिए हमारा मूल विभाग, कृषि विभाग जो कि इस काम को करता है, उस को इस के लिए थोड़ा और आगे आना होगा ताकि खासकर चावल के मामले में, जहां कि हमारी पोटेंशियलिटी है, उस के कामों को हम पूरा कर सकें।

महोदय, हम ने कुछ इंसेंटिव्स भी दिये हैं और वह इंसेंटिव हैं:—

1. Supply of product samples for the purpose of test marketing.
2. Product information and market promotion. Cost of samples and freight, both to be decided on case-to-case basis, subject to a ceiling of Rs. 50,000;
3. Publicity and promotion in preparation of product literature and publicity material. 40% of the cost subject to a ceiling of Rs. 2 lakhs;
4. Brand publicity through advertisements. 40% of the cost subject to a ceiling of Rs. 1 lakh;
5. Market Development Assistance;
6. Grant of EPCG licence for import of capital goods related to agriculture at a concessional customs duty of 5%;
7. Grant of advance licence which entitles duty free import of inputs for the export of agricultural products as per the standard input-output norms.

महोदय, इन कुछ इंसेंटिव्स को हम ने इस काम के लिए रखा है।

श्री जनेश्वर मिश्रः सभापति जी, इन के जवाब से लगता है इस मामले में इन का मंत्रालय फेल हो गया है। बासमती के सवाल पर जब वहां बहस करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से लोग गए तो वाणिज्य मंत्रालय ने कह दिया कि इस पर बहस करने के लिए हमारे पास धन नहीं है। महोदय, अखबारों में छपा है कि फूड मिनिस्ट्री के लोग बहस करने के लिए गए तो इन के मंत्रालय ने कह दिया कि इस पर बहस उठाने के लिए हमारे पास धन नहीं है। यह इतना गंभीर मामला है और शायद मंत्री जी नए आए हैं इस विभाग में इसलिए वह इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन इन के अधिकारी जानते होंगे। सभापति जी, हम चाहेंगे कि आप इस विषय में एक लंबी बहस की इजाजत दें क्योंकि देश का यह उत्पाद जो पहाड़ी इलाकों में होता है, सारी दुनिया में मशहूर था। महोदय, हमारे खाद्य मंत्रालय ने लंबाई के मामले में, सुगंध के मामले में और कई बिंदुओं पर कहा कि उन का यह प्रोडक्ट बासमती हो ही नहीं सकता, लेकिन इन की तरफ से कह दिया गया कि पैसा नहीं है। यह अखबार में छपा जिसे पढ़ने के बाद मुझे बहुत धक्का लगा। वे सब भी बहुत उदास हो गए और यह बहस उठ नहीं पाई। सभापति जी, मैं चाहूंगा कि आप इस विषय पर अलग से बहस की इजाजत दें क्योंकि क्युश्चन अवर तो दो-चार मिनिट में खत्म हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: I think, we can consider it.

श्री दिग्विजय सिंहः सभापति जी, माननीय सदस्य जनेश्वर मिश्र जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह किसी भी देशवासी को परेशान करने वाली बात है। अब जहां तक इस की जानकारी का सवाल है, हम सब लोग इस की जानकारी लेना चाहेंगे। लेकिन सभापति जी, मैं आप को और सदन को बताना चाहूंगा कि हमारी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं कही गयी कि हम पैसे देने के लिए तैयार नहीं हैं। उस में सिर्फ इतना ही हुआ है कि पार्लियामेंट ने ज्योग्राफिकल इंडीकेशन एक्ट पास किया है, उस से संबंधित रूल को संसद की सलेक्ट कमेटी देख रही है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि कल के मुकदमे का जो नतीजा देखने को मिला है, उस से बासमती के एक्सपोर्ट पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात, ज्योग्रेफिकल इंडीकेशन एक्ट जो कि पार्लियामेंट से पास किया गया है, उस पर कंसल्टेटिव कमेटी जैसे ही अपनी स्वीकृति देती है, उस के बाद हमारा कानूनी अधिकार तैयार हो जाएगा। ...**(व्यवधान)**...

श्री जनेश्वर मिश्रः महोदय, कुछ दिनों पहले यह अखबार में छपा है कि वाणिज्य मंत्रालय ने इस मामले से यह कहकर हाथ खींच लिए कि उस के पास बासमती का मुकदमा लड़ने के लिए धन नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंहः मैं वही कह रहा हूं कि अखबार से जितनी जानकारी आपको है, उतनी ही मुझको भी है।

श्री जनेश्वर मिश्रः आप अपने अधिकारियों से बात कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंहः मैं जानकारी के बाद ही इस बात को कह रहा हूं कि हमारी तरफ से इसमें कोई भी कमी नहीं की गई है और जैसे ही जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट पास हो जाता है, सिलेक्ट कमेटी से आने के बाद जैसे ही वह कानून का रूप ले लेगा, उस दिन से हमारा इस पर कब्जा वापिस आ जाएगा।

SHRI BALBIR K. PUNJ: Thank you, Sir. The Minister has claimed that our losing the Basmati case will have no bearing on exports. I do not know what sort of homework he has done. If it has no bearing on our exports, then what was the point in fighting the case in the court in the first place? I am sure there are implications and grave implications for India. Secondly, the Government has allowed export of 30 lakh tonnes of rice in the current year. Sir, five months have passed. The hon. Minister has listed a number of steps that have been taken to promote exports. I have only one question. What are the expenses which have been incurred on promotion exercise? Secondly, how much rice has been contracted for exports in the first five months and how much rice has been shifted?

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, as far as the first part of the question put by the hon. Member is concerned, we are obtaining confirmation of this report. We have been successfully resisting the patent claim. Indian Basmati has its own market. If the report is correct, the patent will be for American Basmati. At this stage, we do not visualise any effect on the export of Basmati. That is the first part of the answer. Secondly, I have already explained the steps that we are going to take.

SHRI BALBIR K. PUNJ: What is the point in fighting the case in an American court? ...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAY SINGH: Hon. Member, Punj Ji, we have not lost the case. Janeshwarji has also raised the same question. Again I am saying that we have not lost. Nor formal info has been done regarding this particular order. The earlier decision was in our favour.

श्री जनेश्वर मिश्र: राइस पर उस अमरीकन कम्पनी को पेटेंट मिल गया है क्या?

SHRI KAPIL SIBAL: It is not a question of losing the case. The United States has granted the patent to a variety of Basmati rice which is being produced by particular company. So, the question of winning or losing the case does not arise. We ought to have opposed the grant of that patent.

श्री दिग्विजय सिंह: सवाल तो आपका यही है न कि हम केस हार गए हैं?

श्री कपिल सिब्बल: इसमें तो केस की कोई बात ही नहीं है। केस हारने का सवाल ही नहीं है।

श्री नीलोत्पल बसु: मान लीजिए अमरीका के बाजार में मोनोपली राइट उस कम्पनी का होगा राइस बेचने का.....

श्री दिग्विजय सिंह: बैठिए, बैठिए। कपिल सिब्बल साहब, आप कानून की इस बात को जानते हैं कि डब्ल्यू०टी०ओ० के अधीन जियोग्राफिकल इंडिकेशन की एक क्लाज है।

श्री दिग्विजय सिंह: बिल्कुल।

श्री दिग्विजय सिंह: और जब हिन्दुस्तान का जियोग्राफिकल इंडिकेशन का बिल यहां से पार्लियामेंट से पास हो गया, सिलेक्ट कमेटी उसको देख रही है, जब उसका कानूनी प्रावधान हो जाएगा तो स्वभावतः वह हमारे पक्ष में जाएगा। मैं यह बात प्रारम्भ में ही कह चुका हूं।

श्री कपिल सिब्बल: फिर भी आपको कार्रवाई तो करनी पड़ेगी।

श्री दिग्विजय सिंह: कार्रवाई तो कर रहे हैं। जब हम कानून बना लेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन पर, तभी तो वह होगा न।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, the problem in this matter is that (*Interruptions*) Indian Basmati certainly can be exported to the rest of the world, but when it is exported to the United States, then there will be problems becasue they have already got the patent on Basmati. At that stage, there may be prohibition on imports only in

the United States and not in the rest of the world. On that issue, you will have to move the Patent Office in the United States of lift the grant on patent to that company. When will you do this?

श्री दिग्विजय सिंह: हमारा जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का कानून बना है, वह जिस दिन सिलेक्ट कमेटी से लौटेगा और उसको जब कानूनी रूप मिल जाएगा, उस दिन हम इस काम को कर लेंगे।

श्री कपिल सिब्बल: आपको उसमें वेट करने की जरूरत भी नहीं है।

MR. CHAIRMAN: According to him, you can do it even now ...(*Interruptions*)...That was his question...(*Interruptions*)...That is what he is saying...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: You do not have to wait for that.

SHRI BALBIR K. PUNJ: We have not lost the case; we have lost the cost.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, the hon. Minister should make a *suo motu* statement on this subject...(*Interruptions*)...

SHRI KAPIL SIBAL: It has affected thousands and thousands of farmers of this country...(*Interruptions*)...The Government must make a statement on this issue...(*Interruptions*)...There should be a Short Duration Discussion on this subject.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The Minister should make a statement.

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सदस्य का एक और प्रश्न इस पर जुड़ा हुआ था...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: मंत्री जी, आप इस पर एक स्टेटमेंट लेकर आइए।

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, 1999-2000 में हमने करीब 24,000 करोड़ रुपए के आस-पास...(**व्यवधान**)...

श्री बलबीर के॰ पुंज: 2000-2001 का बताइए...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: महोदय, 2000-2001 के लिए हमारे पास फिगर है वह 27,500 करोड़ रुपए के आस-पास की है...(**व्यवधान**)...मैं इसकी सूचना आपको अलग से भिजवा दूंगा...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: बासमती की गंध अभी भी है, बासमती के ऊपर आप स्टेटमेंट लाइए।

श्री कपिल सिब्बल: कम से कम आप बासमती को पेटेंट ऑफिस में अमरीका में रजिस्टर तो करवाइए। आप "राईस-टैक" को छोड़िए। इंडियन बासमती को आप पेटेंट तो कराइए, वह कार्यवाही तो आपने की नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, जैसा आपका आदेश होगा और जैसी सदन की इच्छा होगी, मैं वही करूंगा।

श्री कपिल सिब्बल: हम भी यही चाहते हैं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I would like to submit that this is an important issue and a lot of misinformation can also come. Therefore, it is better that the Government should make a statement and explain the position. The hon. Minister cannot reply in half. He should prepare a statement analysing the implications of it so that the House can take note of.

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, जैसा आपका आदेश होगा और जैसी सदन की इच्छा होगी, मैं वही करूंगा।

MR. CHAIRMAN: I think the Government should make a statement on this.

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय सभापति जी, जैसा आपका आदेश होगा और जैसी सदन की इच्छा होगी, वह मैं करने के लिए तैयार हूं।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Assam Gas Cracker Project

*405. SHRI DRUPAD BORGOHAIN:
DR. ARUN KUMAR SARMA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the details of agreement for supply of gas to the proposed Gas Cracker Project in Assam; and